न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 44 / 2020

वादीगण :–

1. प्रेमकंवर पुत्री श्री दौलसिंह पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी दातड़ा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा राज.
2. सुप्यारकंवर पुत्री श्री दौलसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा राज.
3. बुधसिंह पुत्र गोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हड़मानसिंह पुत्र दौलसिंह
2. हरीसिंह पुत्र हड़मानसिंह
3. मीनाकंवर पत्नी हरीसिंह
4. ओमसिंह पुत्र हड़मानसिंह
5. सम्पतकंवर पत्नी ओमसिंह
6. चन्द्रवीरसिंह पुत्र हड़मानसिंह
7. रेणु कंवर पत्नी चन्द्रवीरसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण बरना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री भागीरथसिंह सोढा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एड0
प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 7/1/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना मे स्व. दौलसिंह के नाम की कृषि भूमि आई हुई थी। जो वर्तमान में भी मौजूद है। दौलसिंह की मृत्यु पश्चात् उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण गलती व त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवा दिया गया एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में आने से रह गया। जबकि वादीगण की प्रथम श्रेणी के दौलसिंह के उतराधिकारी है एव कृषि भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक होने के कारण वादीगण का हक हिस्सा उक्त भूमि में निहित है जिन्हे वादीगण अपने नाम से खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम करवा दी, जिस कारण उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि उक्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा निहित है। वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 का दौलसिंह की कृषि भूमि मे प्रत्येक का 1 / 4 हिस्सा निहित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है एव इसी अनुसार वादी सख्या 1 दौलसिह की कृषि भूमि मे अपना 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 भी 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का भी 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 7 का 1/4 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार हक हिस्से की घोषणा करवाने व बंटाड़ा करवाने के वादीगण अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 963 खसरा नम्बर 187 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 3.1632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.6454 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.1407 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा स्व. दौलसिंह का निहित था। इसी प्रकार खाता संख्या 964 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1294 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा दौलसिहजी का निहित था। खाता सख्या 961 खसरा नम्बर 123 रकबा 18.6151 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा दौलसिंहजी का निहित था। खाता सख्या 162 खसरा नम्बर 454 रकबा 2.6373 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा दौलसिंहजी का निहित था। खाता संख्या 959 खसरा नम्बर 132 रकबा 3.9884 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.7263 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 3.3007 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 962 खसरा नम्बर 518 रकबा 2.8558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.4319 हैक्टेयर सम्पूर्ण। स्व. दौलसिंह का स्वर्गवाह हो जाने पर म्यूटेशन संख्या 273 व 272 भरे गये। जो दौलसिंह के उतराधिकारी प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से भी भरा गया था। परन्तु वादीगण का नाम त्रुटिवश आने से रह गया। उक्त नामान्तरकरण से वादग्रस्त भूमि का पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एव उक्त पैतृक कृषि भूमि होने के नाते एव वादीगण का प्रथम श्रेणी के उतराधिकार दौलसिंह के होने से अपना हक हिस्सा घोषित करवाने व बटवाडा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 13.08.2022 को केम्प कोर्ट बिलाडा मे पेश हुई जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा पक्षाराकान के मध्य राजीनामा हो गया। जो राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एक ही परिवार के सदस्य है एवं ग्राम बरना मे वादग्रस्त जमीन स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है जो वशावली पृष्ठ में दर्शाये अनुसार दौलसिंह से प्राप्त सम्पति है। जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अपने नाम की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पक्ष मे जो करवाई गई है वह भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के खाते की भूमि मे ही सम्मिलित है एव पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व वादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण दौलसिंह से प्राप्त कृषि भूमि जो वाद पत्र के पैरा सख्या 5 के क,ख,ग,घ,ड,च की कृषि भूमि सम्पूर्ण में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी

ायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 1 से 7 का 1/4 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर बंटवाड़ा करवाने की डिक्री जारी करने हेतु पक्षकारान सहमत है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बीच राजीनामा हो जाने के आधार पर वादीगण का दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा के अनुतोष तक वाद विड्राल करने हेतु पेश कर निवेदन कि प्रस्तुत वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज हो गये तथा प्राथमिक डिक्री की पालना में आज दिन तक बंटवाडा प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। तथा प्रस्तुत बंटवाडा हेतु सहमति नहीं होने से उपरोक्त खसरान की संबंध में प्रस्तुत बंटवाडा वाद के जरिये उपरोक्त खसरान की भूमि का बंटवाडा करवाना नही चाहते है तथा उपरोक्त खसरान की भूमि के संबंध में प्रस्तुत बंटवाडा वाद को विड्रोल करना चाहते है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश वाद मे प्रस्तुत बंटवाडा वाद को जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत बंटवाडा के अनुतोष तक वाद विड्राल करने हेतु को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा केवल अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष ही चाहा गया।

:—आदेश—:

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बरना तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खाता संख्या 963 खसरा नम्बर 187 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 3.1632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.6454 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.1407 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा स्व. दौलसिंह का निहित था। इसी प्रकार खाता संख्या 964 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.4917 हैक्टेयर खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1294 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा दौलसिहजी का निहित था। खाता सख्या 961 खसरा नम्बर 123 रकबा 18.6151 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा दौलसिंहजी का निहित था। खाता सख्या 162 खसरा नम्बर 454 रकबा 2.6373 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा दौलसिहजी का निहित था। खाता सख्या 959 खसरा नम्बर 132 रकबा 3.9884 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.7263 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 3.3007 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 962 खसरा नम्बर 518 रकबा 2.8558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.4319 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पूर्व मे स्व. दौलसिंह की खातेदारी की थी। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्व. दौलसिंह के हिस्से की भूमि में वादी सख्या 1 को 1/4 हिस्सा

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पक्ष में किया गया जो हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से तक ही प्रवर्तनीय रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :– 44 / 2020

वादीगण :–

1. प्रेमकंवर पुत्री श्री दौलसिंह पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी दातड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा राज.
2. सुप्यारकंवर पुत्री श्री दौलसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा राज.
3. बुधसिंह पुत्र गोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हड़मानसिंह पुत्र दौलसिंह
2. हरीसिंह पुत्र हड़मानसिंह
3. मीनाकंवर पत्नी हरीसिंह
4. ओमसिंह पुत्र हड़मानसिंह
5. सम्पतकंवर पत्नी ओमसिंह
6. चन्द्रवीरसिंह पुत्र हड़मानसिंह
7. रेणु कंवर पत्नी चन्द्रवीरसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण बरना तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राज

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर राज

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

निर्णय **दिनांक :–** 07/12/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथसिंह सोढा अधिवक्ता वादीगणं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बरना तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खाता संख्या 963 खसरा नम्बर 187 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 3.1632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.6454 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.1407 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा स्व. दौलसिंह का निहित था। इसी प्रकार खाता संख्या 964 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1294 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा दौलसिंहजी का निहित था। खाता संख्या 961 खसरा नम्बर 123 रकबा 18.6161 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा दौलसिहजी का निहित था। खाता संख्या 162 खसरा नम्बर 454 रकबा 2.6373 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा दौलसिहजी का निहित था। खाता संख्या 959 खसरा नम्बर 132 रकबा 3.9884 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.7263 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 3.3007 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 962 खसरा नम्बर 518 रकबा 2.8558 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 519 रकबा 1.4319 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पूर्व मे स्व. दौलसिंह की खातेदारी की थी। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्व. दौलसिंह के हिस्से की भूमि में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पक्ष मे किया गया वो हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से तक ही प्रवर्तनीय रहेगा। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा